




19



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0 / 13 निगरानी R - 1420 II/13

1. चन्द्र बिहारी पुत्र रामदयाल चौरसिया, आयु- 63 वर्ष,
2. छोटू पुत्र चन्द्र बिहारी चौरसिया, आयु - वर्ष,

समस्त निवासीगण - ग्राम तिघरा कला थाना व तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती जयमंगला पत्नी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, निवासी-वार्ड क्र. 2 मैहर कोतवाली के पीछे, जिला सतना (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

दिनांक 10-4-13 को
प्रो प्रदीप श्रीवास्तव, कोटा
द्वारा प्रस्तुत /

10-4-13
A.S.D

प्रदीप श्रीवास्तव
कोटा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध प्रकरण

क्र. 16ए/70/12X13 अनुविभागीय अधिकारी मैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक

12.03.2013

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07. 2012 राजस्व निरीक्षक नजूल मैहर अदालत तहसीलदार मैहर जिला सतना के प्रकरण क्र. 54/अ-12/2011-12 के आदेश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी-1420-दो/2013

जिला सतना

चंद्रबिहारी

विरूद्ध

जयमंगला व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मैहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 16/ए-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-03-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा) सदस्य </p>	

